[2022] 10 एस. सी. आर. 51

ए.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम

आय कर के सहायक आयुक्त (2022 की सिविल अपील संख्या 8181)

बी.

04 नवंबर, 2022

[उदय उमेश ललित**,** सीजेआई**,** एस**.** रवींद्र भाट और सुधांशु धूलिया**,** जे**.** जे**.]**

आयकर अधिनियम, 1961:एसएस।10(5), 192(1), 201 – कर्मचारी के वेतन से स्रोत पर कर की कटौती-कटौती या भुगतान करने में विफलता के परिणाम-निर्धारिती बैंक के कर्मचारियों ने एक घुमावदार मार्ग लेते हुए छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ उठाया, उन्होंने न केवल भारत के भीतर यात्रा की, बल्कि उनकी यात्रा में एक विदेशी चरण भी शामिल था, और यह सबसे छोटा मार्ग भी नहीं था-निर्धारिती बैंक ने अपने कर्मचारियों को एलटीसी के रूप में भुगतान जारी करते समय, अपने कर्मचारियों के स्रोत पर कर की कटौती नहीं की-न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी निर्धारिती बैंक को अपने कर्मचारियों के टीडीएस की कटौती नहीं करने के लिए चूक में ठहराया-अपील पर कहा गया:कर्मचारियों ने विदेश की यात्रा की और धारा 10 के तहत पूर्ण प्रतिपूर्ति प्राप्त की-एलटीसी भारत के भीतर यात्रा के लिए है-क्षण कर्मचारी विदेशी पैर के साथ यात्रा करते हैं, यह भारत के भीतर यात्रा नहीं है, इस प्रकार, एस के प्रावधानों के तहत शामिल नहीं है।10(5) – विदेश यात्रा एल. टी. सी. के मूल उद्देश्य को भी विफल कर देती है, जो कि भारतीय संस्कृति के कुछ दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक सिविल सेवक या एक सरकारी कर्मचारी को परिचित कराना है और यही कारण था कि एल. टी. सी. की प्रतिपूर्ति को छूट दी गई थी-विधायिका का कोई इरादा नहीं था कि कर्मचारियों को एल. टी. सी. की आड़ में विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जाए।10(5) – इसके अलावा, निर्धारिती-नियोक्ता अपने कर्मचारियों की यात्रा योजनाओं के बारे में अज्ञानता का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि एलटीसी बिलों के निपटारे के दौरान उनके कर्मचारियों की यात्राओं के विवरण के बारे में पूर्ण तथ्य निर्धारिती के सामने उपलब्ध हैं-यह वास्तविक गलती का मामला नहीं हो सकता है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है-आयकर नियम -आर. 2 बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2022 की सिविल अपील संख्या 8181।

2020 के आई. टी. ए. सं. 5 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 13.01.2020 के निर्णय और आदेश से।

एच.

51 ए.

52

के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, अर्जुन भाटिया, आशीष कुमार, ललित राजपूत, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।जोहेब हुसैन, दिग्विजय दाम, भुवन मिश्रा, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

बी.

सुधांशु धूलिया**,** जे।

1. छुट्टी दे दी गई।अपीलार्थी (भारतीय स्टेट बैंक) ने आई. टी. ए. सं. 05/2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 13.01.2020 के फैसले को चुनौती दी है, जिसने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आई. टी. ए. टी.) द्वारा दिनांक 09.07.2019 द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें अपीलार्थी को अपने कर्मचारियों के टी. डी. एस. में कटौती नहीं करने के लिए निर्धारण वर्ष (ए. वाई.) 2013-14 के लिए चूक में निर्धारिती के रूप में माना गया है।

सी.

2. जिस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं, वह यह है कि क्या अपीलकर्ता अपने कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के रूप में भुगतान जारी करते समय स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने के लिए चूक में था।

डी.

3. एल. टी. सी. एक कर्मचारी को किया जाने वाला भुगतान है जिसे 'आय' के रूप में छूट दी गई है और इसलिए सामान्य परिस्थितियों में, इस भुगतान पर टी. डी. एस. का कोई सवाल नहीं होना चाहिए।फिर भी, एल. टी. सी. का लाभ एक कर्मचारी को कानून द्वारा निर्धारित कुछ सीमाओं के भीतर उठाना पड़ता है।सबसे पहले, यात्रा भारत में एक निर्दिष्ट स्थान से भारत के भीतर दूसरे निर्दिष्ट स्थान पर की जानी चाहिए।दूसरे शब्दों में, एलटीसी विदेश यात्रा के लिए नहीं है।दूसरा, इन दोनों स्थानों के बीच सबसे छोटे मार्ग के लिए एलटीसी दिया जाता है।मान लीजिए, वर्तमान मामले में एस. बी. आई. के कर्मचारियों ने न केवल भारत के भीतर अपनी यात्रा की थी, बल्कि उनकी यात्रा में विदेश यात्रा भी शामिल थी।यह सबसे छोटा मार्ग भी नहीं था, नतीजतन, राजस्व के अनुसार यह भारत के भीतर एक निर्दिष्ट स्थान से भारत में किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान की यात्रा नहीं थी और इस प्रकार यह वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन था और इसलिए बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को किए गए भुगतान को छूट नहीं दी जा सकती थी, और बैंक को यह भुगतान करते समय स्रोत पर कर की कटौती करनी चाहिए थी।अपीलार्थी के कर्मचारियों में से एक का उदाहरण देते हुए, जिसने दिल्ली-मदुरै-कोलंबो-कुआलालंपुर-सिंगापुर-कोलंबो-दिल्ली के घुमावदार मार्ग से एलटीसी का लाभ उठाया और उसके दावे की अपीलार्थी द्वारा पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की गई और इसके लिए धारा 192 (1) के तहत कोई कर नहीं काटा गया।

ई.

एफ.

जी.

एच.

53

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम आय कर सहायक आयोग [सुधांशु धूलिया, जे.] ए.

ए.

4. दूसरी ओर अपीलार्थी अपने वकील वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन के माध्यम से तर्क देगा कि हालांकि एल. टी. सी. के तहत उसके कर्मचारियों द्वारा की गई यात्रा में एक विदेशी चरण शामिल था और स्वीकार किया जाता है कि सबसे छोटे मार्ग के विपरीत एक घुमावदार मार्ग लिया गया था, फिर भी दो चीजें कर्मचारियों के पक्ष में जाती हैं।सबसे पहले, अपीलार्थी के कर्मचारियों ने भारत में एक निर्दिष्ट स्थान से भारत के भीतर दूसरे स्थान की यात्रा की (हालांकि उनके यात्रा कार्यक्रम में एक विदेशी देश भी शामिल था), और दूसरा जो भुगतान वास्तव में इन कर्मचारियों को किया गया था, वह भारत के भीतर दो निर्दिष्ट स्थानों के बीच उनकी यात्रा के सबसे छोटे मार्ग के लिए था।दूसरे शब्दों में, विदेश यात्रा के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया था, हालांकि एक विदेशी चरण इन कर्मचारियों द्वारा किए गए यात्रा कार्यक्रम का एक हिस्सा था।

बी.

सी.

5. हालाँकि, अपीलार्थी-बैंक द्वारा दिए गए उपरोक्त कारणों को आयकर के सहायक आयुक्त या आयकर आयुक्त (अपील) या यहाँ तक कि उच्च न्यायालय का भी समर्थन नहीं मिला है।मामले की जांच करने के बाद हमारी सुविचारित राय यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण और यहां तक कि राजस्व द्वारा कार्यवाही शुरू करने में लिए गए दृष्टिकोण को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।अपीलार्थी, जिसे हम 'निर्धारिती-नियोक्ता' के रूप में संदर्भित करेंगे, को स्रोत पर कर की कटौती करनी चाहिए थी।

डी.

6. आइए पहले आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') और उसमें बनाए गए आयकर नियम, 1962 के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों पर गौर करें।आइए पहले हम अधिनियम की धारा 192 (1) को लें जो नियोक्ता पर अपने कर्मचारी के वेतन से स्रोत पर कर की कटौती करने का वैधानिक कर्तव्य डालती है।

ई.

“192(1) "वेतन" शीर्ष के तहत प्रभार्य किसी भी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति, भुगतान के समय, उस वित्तीय वर्ष के लिए लागू दरों के आधार पर संगणित आय-कर की औसत दर पर देय राशि पर आय-कर की कटौती करेगा, जिसमें भुगतान किया जाता है, उस वित्तीय वर्ष के लिए इस शीर्ष के तहत निर्धारिती की अनुमानित आय पर।”

एफ.

स्रोत पर देय कर की कटौती करने में विफलता के परिणाम धारा 201 में दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैः-

जी.

“कटौती या भुगतान करने में विफलता के परिणाम।

201. (1) जहाँ कंपनी के प्रधान अधिकारी सहित कोई व्यक्ति **-**

एच.

((क) जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी राशि की कटौती करने की आवश्यकता है; या

(ख) धारा 192 की उप-धारा (1 क) में निर्दिष्ट, नियोक्ता होने के नाते, कटौती नहीं करता है, या भुगतान नहीं करता है, या इस प्रकार कटौती करने में विफल रहने के बाद, इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत आवश्यक कर का पूरा या कोई हिस्सा भुगतान करने में विफल रहता है, तो, ऐसा व्यक्ति, किसी अन्य परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसे हो सकता है, ऐसे कर के संबंध में चूक में निर्धारिती समझा जाएगाः

बी.

बशर्ते कि कंपनी के प्रधान अधिकारी सहित कोई भी व्यक्ति, जो इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार किसी प्राप्तकर्ता को भुगतान की गई राशि पर या किसी प्राप्तकर्ता के खाते में जमा की गई राशि पर कर की पूरी या किसी हिस्से की कटौती करने में विफल रहता है, उसे ऐसे कर के संबंध में चूक में निर्धारिती नहीं माना जाएगा यदि ऐसा प्राप्तकर्ता -

सी.

(i) धारा 139 के तहत अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत की है; (ii) आय की ऐसी विवरणी में आय की गणना के लिए ऐसी राशि को ध्यान में रखा है; और

डी.

((ग) आय की ऐसी विवरणी में अपने द्वारा घोषित आय पर देय कर का भुगतान कर दिया है, और व्यक्ति एक लेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जो निर्धारित किया जाए, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति से धारा 221 के तहत कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा, जब तक कि निर्धारण अधिकारी का यह समाधान न हो कि ऐसा व्यक्ति, अच्छे और पर्याप्त कारणों के बिना, ऐसे कर की कटौती करने और भुगतान करने में विफल रहा है।

ई.

धारा 10 (5) एल. टी. सी. के रूप में प्राप्त भुगतानों को छूट देती है जिससे हम वर्तमान में संबंधित हैं।यह नीचे लिखा हैः-

एफ.

“10. किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना करने में, निम्नलिखित खंडों में से किसी के भीतर आने वाली कोई भी आय शामिल नहीं होगी -

XXX XXX XXX

जी.

(5) किसी व्यक्ति के मामले में, उसके द्वारा प्राप्त या देय किसी यात्रा रियायत या सहायता का मूल्य -

(क) भारत में किसी भी स्थान पर छुट्टी पर जाने के संबंध में अपने और अपने परिवार के लिए अपने नियोक्ता से; क

एच.

55

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम आय कर सहायक आयोग [सुधांशु धूलिया, जे.] ए.

(ख) अपने और अपने परिवार के लिए अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से, सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद या अपनी सेवा की समाप्ति के बाद भारत में किसी भी स्थान पर अपनी कार्यवाही के संबंध में,

यात्राओं की संख्या और वह राशि जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी गई यात्रा रियायत या सहायता के संबंध में प्रति व्यक्ति छूट होगी, ऐसी शर्तों के अधीन जो निर्धारित की जाएंः

बी.

बशर्ते कि इस खंड के तहत छूट की गई राशि किसी भी मामले में ऐसी यात्रा के उद्देश्य के लिए वास्तव में खर्च की गई राशि से अधिक नहीं होगीः

सी.

[स्पष्टीकरण 1]।—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के संबंध में "परिवार" का अर्थ है -

((i) व्यक्ति के पति या पत्नी और बच्चे; और

डी.

((ii) व्यक्ति या उनमें से किसी के माता-पिता, भाई और बहन, जो पूरी तरह से या मुख्य रूप से व्यक्ति पर निर्भर हैं।" उपरोक्त प्रावधान को आयकर नियमों के नियम 2 बी के साथ पढ़ना होगा। नियम 2 बी निम्नानुसार हैः-

"[धारा 10 (5) के प्रयोजन के लिए शर्तें।

ई.

2 बी. (1) यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के संबंध में धारा 10 के खंड (5) के तहत छूट प्राप्त राशि, जो व्यक्ति को उसके नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से उसके और उसके परिवार के लिए उसकी कार्यवाही के संबंध में प्राप्त हुई थी, (ए) भारत में किसी भी स्थान पर छुट्टी पर;

एफ.

(ख) सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद या अपनी सेवा की समाप्ति के बाद भारत में किसी भी स्थान पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसी यात्रा के प्रदर्शन पर वास्तव में खर्च की गई राशि होगी, अर्थात्:—

जी.

[(i) जहां यात्रा 1 अक्टूबर, 1997 को या उसके बाद हवाई मार्ग से की जाती है, गंतव्य स्थान के लिए सबसे छोटे मार्ग से राष्ट्रीय वाहक के हवाई अर्थव्यवस्था किराए से अधिक राशि नहीं है;

एच.

((ख) जहां यात्रा के मूल स्थान और गंतव्य रेल द्वारा जुड़े हुए हैं और यात्रा 1 अक्टूबर, 1997 को या उसके बाद, हवाई मार्ग के अलावा परिवहन के किसी भी माध्यम से की जाती है, गंतव्य स्थान के लिए सबसे छोटे मार्ग से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल किराए से अधिक राशि नहीं; और

बी.

(iii) जहां यात्रा के मूल स्थान और गंतव्य या उसके कुछ हिस्से रेल से जुड़े नहीं हैं और यात्रा 1 अक्टूबर, 1997 को या उसके बाद की जाती है, ऐसे स्थानों के बीच छूट के लिए पात्र राशि होगी:— (ए) जहां एक मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मौजूद है, गंतव्य स्थान के लिए सबसे छोटे मार्ग से ऐसे परिवहन पर प्रथम श्रेणी या डीलक्स श्रेणी के किराए से अधिक राशि, जैसा भी मामला हो; और

सी.

(बी) जहां कोई मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मौजूद नहीं है, वहां सबसे छोटे मार्ग से यात्रा की दूरी के लिए वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल किराए के बराबर राशि, जैसे कि यात्रा रेल द्वारा की गई हो।]"

डी.

7. हमारे सामने अपीलकर्ता एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसका नाम भारतीय स्टेट बैंक (एस. बी. आई.) है।राजस्व ने अपीलार्थी को अपने कर्मचारियों के स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने के लिए "चूक में निर्धारिती" माना है।8. ये कार्यवाही धारा 133 ए के तहत मौके पर

सत्यापन के साथ शुरू हुई जब राजस्व द्वारा यह पाया गया कि निर्धारिती-नियोक्ता के कुछ कर्मचारियों ने भारत के बाहर के स्थानों की अपनी यात्रा के लिए भी एलटीसी का दावा किया था।हालाँकि, इन कर्मचारियों ने भारत के भीतर दो बिंदुओं के बीच अपने यात्रा खर्च का दावा किया, लेकिन दोनों बिंदुओं के बीच उन्होंने एक विदेशी देश की भी यात्रा की थी, इस प्रकार अपने गंतव्य के लिए एक घुमावदार मार्ग लिया जिसमें एक विदेशी स्थान शामिल था।इसलिए इस मामले की जांच मूल्यांकन अधिकारी द्वारा की गई थी, जिनकी राय थी कि एक कर्मचारी द्वारा एलटीसी के रूप में प्राप्त धन की राशि को अधिनियम की धारा 10 (5) के तहत छूट दी गई है, हालांकि, इस छूट का दावा किसी कर्मचारी द्वारा भारत से बाहर यात्रा के लिए नहीं किया जा सकता है जो इस मामले में किया गया है और इसलिए निर्धारिती-नियोक्ता अपने कर्मचारियों द्वारा एलटीसी के रूप में दावा की गई इस राशि से स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने में चूक करता है। निर्धारण अधिकारी द्वारा बताए गए एल. टी. सी. नियमों के दो उल्लंघन थेः

ई.

एफ.

जी.

एच.

57

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम आय कर सहायक आयोग [सुधांशु धूलिया, जे.] ए.

ए.

उ. कर्मचारी ने केवल घरेलू गंतव्य की यात्रा नहीं की, बल्कि विदेश की भी यात्रा की और

बी. कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि दोनों गंतव्यों के बीच सबसे कम संभव मार्ग नहीं लिया था, इस प्रकार आवेदक को निर्धारण अधिकारी द्वारा चूक में एक निर्धारिती माना गया था।एल. टी. सी. के रूप में कर्मचारियों द्वारा की गई यात्रा इसलिए आयकर नियम, 1962 के नियम 2 बी के साथ पठित अधिनियम की धारा 10 (5) का उल्लंघन थी, दोनों को ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।निर्धारण अधिकारी के आदेश को सी. आई. टी. (ए) के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था और इसी तरह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उनकी अपील भी थी।

बी.

सी.

9. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित आदेश 13.01.2020 के माध्यम से अपील को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि निर्धारिती नियोक्ता के कर्मचारियों द्वारा अपने एलटीसी दावों के

लिए प्राप्त राशि छूट के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि इन कर्मचारियों ने विदेशों का दौरा किया था जो कानून के तहत अनुमेय नहीं है।

डी.

10. ऊपर चर्चा किए गए कानून के प्रावधानों में निर्धारित किया गया है कि भारत के भीतर दो बिंदुओं के बीच हवाई किराया दिया जाएगा और जो एलटीसी दिया जाएगा वह इन दोनों स्थानों के बीच सबसे छोटे मार्ग का होगा, जो भारत के भीतर होना चाहिए।इस मामले के तथ्यों के साथ यहां चर्चा किए गए प्रावधानों का एक संयुक्त अध्ययन अपीलार्थी के इस तर्क को कायम नहीं रख सकता है कि उसके कर्मचारियों की यात्रा भारत के भीतर थी और इसमें शामिल किसी भी विदेशी पक्ष के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया था।

ई.

11. हम यात्रा एजेंसियों और हवाई किराए की वर्तमान गतिशीलता की भूमिका में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति बिना कोई कीमत चुकाए विदेश यात्रा का लाभ उठाएगा।हम इसे वहीं छोड़ देते हैं।

एफ.

12. अभिलेखों से यह देखा जा सकता है कि अपीलार्थियों के कई कर्मचारियों ने मलेशिया, सिंगापुर या पोर्ट ब्लेयर होते हुए बैंकॉक, मलेशिया या रामेश्वरम होते हुए मॉरीशस या मदुरै होते हुए दुबई, थाईलैंड और पोर्ट ब्लेयर होते हुए यूरोप आदि के रास्ते पोर्ट ब्लेयर की यात्रा की थी। यह समझना बहुत मुश्किल है कि अपीलार्थी जो निर्धारिती-नियोक्ता है, इस पहलू को ध्यान में रखने में कैसे विफल रहा होगा।यह कमरे में हाथी था।

जी.

एच.

13. अपीलार्थी का यह तर्क कि विदेश यात्रा के लिए धारा 10 (5) के तहत कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है और इसलिए विदेश यात्रा का लाभ तब तक उठाया जा सकता है जब तक कि प्रारंभ और गंतव्य बिंदु भारत के भीतर रहते हैं।एल. टी. सी. भारत के भीतर, भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा के लिए है।इस पर कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए।

बी.

14. अपीलार्थी द्वारा आग्रह किया गया दूसरा तर्क कि इन कर्मचारियों को किया गया भुगतान उनकी वास्तविक यात्रा का सबसे छोटा मार्ग था, भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।यह पहले ही ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए, जब कर्मचारी विदेशी पैर के साथ यात्रा करते हैं, तो यह भारत के भीतर यात्रा नहीं है और इसलिए अधिनियम की धारा 10 (5) के प्रावधानों के तहत शामिल नहीं है।

सी.

15. विदेश यात्रा एल. टी. सी. के मूल उद्देश्य को भी विफल कर देती है। एल. टी. सी. योजना का मूल उद्देश्य इस विशाल देश में यात्रा करके भारतीय संस्कृति के कुछ दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक सिविल सेवक या एक सरकारी कर्मचारी को परिचित कराना था।यही कारण है कि छठे वेतन आयोग ने एलटीसी के बदले नकद मुआवजे का भुगतान करने की मांग को खारिज कर दिया और विदेश यात्रा की मांग को भी खारिज कर दिया।पैरा 4.3 में।4 मार्च, 2008 की छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया थाः- " 4.3.4.इस योजना के तहत पूरे करियर में कम से कम एक बार विदेश यात्रा की अनुमति देने की मांग योजना के मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। सरकारी कर्मचारी विदेश यात्रा करके भारतीय संस्कृति का कोई भी दृष्टिकोण प्राप्त नहीं कर सकता है।इसके अलावा, विदेश यात्रा में परिचर लागत भी इस योजना के तहत खर्च को बहुत अधिक कर देगी।इसलिए आयोग एल. टी. सी. के तहत विदेश यात्रा की अनुमति देने की मांग को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

डी.

ई.

एफ.

यह राजस्व की भी एक आपत्ति है जो प्रत्यर्थी सं. द्वारा दायर अपने जवाबी हलफनामे में उठाई गई है। 1-सहायक आयकर आयोग जिसमें राजस्व ने जोर देकर कहा है कि एल. टी. सी. का प्रावधान कर्मचारियों को भारत में पर्यटन के प्रति प्रेरित करने और अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था और इसी कारण से एल. टी. सी. की प्रतिपूर्ति को छूट दी गई थी।अधिनियम की धारा 10 (5) के आधार पर उपलब्ध एल. टी. सी. की आड़ में कर्मचारियों को विदेश यात्रा करने की अनुमति देने का विधानमंडल का कोई इरादा नहीं था। इसलिए, राजस्व की एक वैध आपत्ति है (अन्य आपत्तियों के अलावा जो स्पष्ट रूप से क़ानून का उल्लंघन करती हैं), ए

जी.

एच.

कि भारत के भीतर यात्रा की आड़ में योजना के इरादे और उद्देश्य का भी उल्लंघन किया जाता है, विदेश यात्रा का लाभ उठाया जा रहा है।

16. सी. आई. टी. (ए) द्वारा पारित उपरोक्त आदेश में उचित रूप से कहा गया है कि कर की कटौती का दायित्व कर के भुगतान से अलग है।अपीलकर्ता अपने कर्मचारियों की यात्रा योजनाओं के बारे में अज्ञानता का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि एलटीसी बिलों के निपटारे के दौरान उनके कर्मचारियों की यात्राओं के विवरण के बारे में पूर्ण तथ्य निर्धारिती के सामने उपलब्ध हैं।इसलिए, यह वास्तविक गलती का मामला नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी प्रासंगिक तथ्य निर्धारिती नियोक्ता के सामने थे और इसलिए वह पूरी तरह से अपने कर्मचारियों की 'अनुमानित आय' की गणना करने की स्थिति में था।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन का यह तर्क कि 'अनुमानित आय' की गणना करने में निर्धारिती-नियोक्ता द्वारा एक वास्तविक गलती हो सकती है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि सभी प्रासंगिक दस्तावेज और सामग्री संबंधित समय पर निर्धारिती-नियोक्ता के समक्ष थी और इसलिए निर्धारिती नियोक्ता को अपना दिमाग लगाना चाहिए था और स्रोत पर कर की कटौती करनी चाहिए थी क्योंकि यह अधिनियम की धारा 192 (1) के तहत उसका वैधानिक कर्तव्य था।

बी.

सी.

डी.

17. निष्कर्ष में हमें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।याचिका खारिज की जाती है।

निधि जैन

याचिका खारिज कर दी गई।

ई.

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.